

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 14/2026

दायर दिनांक 13.01.2026

वादीया

प्रतिवादीगण

- | | | |
|---|------|---|
| 1. अंजु राठौड पुत्री श्रवणसिंह
राठौड जाति राजपूत निवासी
कोनियाडा तहसील
छोटीखाटू जिला
डीडवाना-कुचामन | बनाम | 1. मांगीलाल पुत्र शैतानराम जाति राईका
2. श्री किशन पुत्र आसुराम जाति राईका
निवासी छोटीखाटू जिला
डीडवाना-कुचामन
3. तहसीलदार छोटीखाटू |
|---|------|---|

दावा बाबत

बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 53,188 R.T.Act.,

उपस्थित:-

1. श्री मो. शरीफ शैरानी वकील वादीया।

--:: निर्णय ::--

दिनांक 13.05.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वाके सरहद कोनियाडा के खेत खसरा संख्या 624/6 रकबा 0.5600 है. व खसरा संख्या 625/6 रकबा 3.6400 है. भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 25.03.2026 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटीखाटू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटीखाटू ने अपने पत्रांक: भू.अ./2026/661 दिनांक 29.04.2026 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटीखाटू द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटीखाटू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार छोटीखाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2026/661 दिनांक 29.04.2026 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

--:: आदेश ::--

सरहद कोनियाडा के खसरा संख्या 624/6 रकबा 0.5600 है. व खसरा संख्या 625/6 रकबा 3.6400 है. भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2026/661 दिनांक 29.04.2026 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

Wras
 उपखण्ड अधिकारी
 डीडवाना

तहसीलदार छोटीखाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिय पत्रांक: भूअ./2026/661
दिनांक 29.04.2026 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड
दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

WRAS
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

WRAS
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 14/2026

दायर दिनांक 13.01.2026

वादीया

प्रतिवादीगण

1. अंजु राठौड पुत्री श्रवणसिंह
राठौड जाति राजपूत निवासी
कोनियाडा तहसील
छोटीखाटू जिला
डीडवाना-कुचामन

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र शैतानराम जाति राईका
2. श्री किशन पुत्र आसुराम जाति राईका
निवासी छोटीखाटू जिला
डीडवाना-कुचामन
3. तहसीलदार छोटीखाटू

दावा बाबत

बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 53,188 R.T.Act.,

दिनांक 13.05.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री मो. शरीफ शेरानी वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर सरहद कोनियाडा के खसरा संख्या 624/6 रकबा 0.5600 है. व खसरा संख्या 625/6 रकबा 3.6400 है. भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भूअ./2026/661 दिनांक 29.04.2026 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार छोटीखाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिय पत्रांक: भूअ./2026/661 दिनांक 29.04.2026 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्र मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.05.2026 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Wkas
सहायक कलक्टर
डीडवाना